



राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय
योजना भवन तिलक मार्ग, जयपुर

क्रमांक:- एफ13/1/3/वे.पो./वीएस/डीईएस/2017/ 78428

दिनांक:- 4/1/2018

जिला रजिस्ट्रार, (जन्म-मृत्यु) एवं
उप/सहायक निदेशक
आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
जिला समस्त


विषय:- जन्म रजिस्ट्रेशन रिकार्ड में बालक/बालिका के नाम की प्रविष्टि के सम्बन्ध में।
सन्दर्भ:- निदेशालय का परिपत्र क्रमांक 47920 दिनांक 22.12.2014 एवं भारत के
महारजिस्ट्रार कार्यालय का पत्रांक 1/2/नियम/2012-वीएस
(सीआरएस)/2282 दिनांक 04.06.2014

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित परिपत्र द्वारा ऐसे बालक/बालिका जिनका जन्म रिकार्ड में उनके माता-पिता या संरक्षक द्वारा 15 वर्ष की अवधि पश्चात् नाम दर्ज नहीं कराया गया है, उन्हें दिनांक 31.12.2019 तक बालक/ बालिका का नाम जन्म रिकार्ड में दर्ज कराने की सुविधा प्रदान की गई थी।

अतः निर्देशित किया जाता है कि जिले के समस्त रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु), शहरी एवं ग्रामीण को भारत सरकार की अनुमति से राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही उक्त सुविधा का लाभ प्राप्त करने हेतु आमजन में व्यापक प्रचार-प्रसार करें, चूंकि दिनांक 31.12.2019 के पश्चात् यह सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।

भवदीय,


(डॉ.ओम प्रकाश बेरवा)

मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:- एफ13/1/3/वे.पो./वीएस/डीईएस/2017/

दिनांक:

प्रतिलिपि:- जिला रजिस्ट्रार एवं आयुक्त नगर निगम, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव